



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, P.W.D., NARENDRANAGAR
Phone & Fax 01378-227229

E-mail-eepwdnarendranagar@ymail.com

पत्रांक 864/6 रुपये

सेवा में,

प्रमाणीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनिकीरेती।

विषय :-

जनपद ठिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 तक जोड़ने हेतु 1.225 हेक्टर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/48741/2020.

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक-366/12-1, दिनांक 02.08.2021.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्थीकृति की अनुपालन आख्या में उल्लेखित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत है:-

शर्त संख्या-01 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में 'कोई बबलाव नहीं' किया जायेगा।

शर्त संख्या-02 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।

शर्त संख्या-03(क) के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रु 9,08,710.00 की धनराशि वन विभाग के खाते यूनियन बैंक, लोदी काम्पलैक्स में जमा कर दी गयी है, जिसकी चालान रसीद सलंगन है।

शर्त संख्या-03(ख) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ध्यानित ग्राम-संसमण सिविल की गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जा चुका है, प्रमाण पत्र सलंगन है।

शर्त संख्या-03(ग) के अनुपालन में कि वन मण्डल अधिकारी द्वारा उक्त सी०१० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण नहीं किया जायेगा का प्रमाण-पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा।

शर्त संख्या-04 के अनुपालन का प्रमाण-पत्र सलंगन है।

शर्त संख्या-05(क) के अनुपालन में एन०पी०वी० के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1.225 हेक्टर का रु 8,45,000.00 प्रति हेक्टर की दर से मूल्य रु 10,35,125.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है जिसकी चालान रसीद सलंगन है।

शर्त संख्या-05(ख) के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

शर्त संख्या-06 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

शर्त संख्या-07 के अनुपालन में मान्य है कि, एनोपी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक अनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फ़ड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई-पोर्टल के माध्यम से ही जमा की गयी है।

शर्त संख्या-08 के अनुलपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि वृक्षों के कटाव अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित आदेश की प्रति वन विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।

शर्त संख्या-09 के अनुपालन में एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

शर्त संख्या-10 के अनुलपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।

शर्त संख्या-11 के अनुलपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि सरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साईंनेज लगाये जायेंगे।

शर्त संख्या-12 के अनुलपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

शर्त संख्या-13 के अनुलपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

शर्त संख्या-14 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

शर्त संख्या-15 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, जिससे निकटवर्ती बनों को क्षति न पहुंचे।

शर्त संख्या-16 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्रॉविकलन सम्बन्धित राजि अधिकारी से तैयार करवाकर प्रॉविकलनानुसार धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पक्ष में जगा करा दी जायेगी।

शर्त संख्या-17 के अनुपालन में निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

शर्त संख्या-18 के अनुलपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

शर्त संख्या-19 के अनुलपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यवित्त को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

शर्त संख्या-20 के अनुपालन में मान्य है कि किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

संख्या-21 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि यदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन निकालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है तो उनका भी पालन किया जायेगा।

शर्त संख्या-22 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्द्धिए स्थलों पर मलबे का निस्तारण कर दिया जायेगा ताकि वह तथ सीमा से नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित किया जायेगा। मलबे को यथा रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा तथा मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी।

शर्त संख्या-23 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जलरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।

शर्त संख्या-24 के अनुपालन में मान्य है कि सैद्धांतिक स्थीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in>) पर अपलोड की जायेगी।

संलग्नः— उपरोक्तनुसार 06 प्रतियों में।

68106122.
मो 0 आरिफ खान
अधिकारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोपनियो,
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या—१


प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०—५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—१ के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—58 तक जोड़ने हेतु 1.225 हेतु 0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त सैद्धांतिक स्थीकृति की शर्त संख्या—02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०पि०, नरेन्द्रनगर

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०—५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त संदर्भान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—३ (ख) के अनुपालन में 2.45 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि ग्राम संसमण, खसरा संख्या 5170 वन विभाग के नाम नामान्तरित हस्तान्तरित की ली गयी है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या—03(ग)


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—58 तक जोड़ने हेतु 1.225 हेठले वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त सैद्धांतिक स्थीकृति की शर्त संख्या—03(ग) के अनुपालन में कि उक्त सीधे क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जायेगा का प्रमाण पत्र वन मण्डल अधिकारी से प्रदत्त कर प्रेषित कर दिया जायेगा।


अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोनिया, नरेन्द्रनगर

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०—५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—4 के अनुपालन में 2.45 हेक्टेयर सिविल सौयम भूमि ग्राम संसमण, खसरा संख्या पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु मु0 09,08,710.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर ली गयी है।



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या-५ (क)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-५ (ख) के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य ₹० 10,35,125.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर ली गयी है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, ल००नि०वि०
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या-5 (ख)

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्थीकृति की शर्त संख्या-5 (ख) के अनुपालन में यदि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद हो, को वन विभाग के पक्ष में जमा कर लिया जायेगा।

अधिकारी आभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०षि०
नरेन्द्रनगर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यायेदन हेतु प्राप्त सेहदान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-६ के अनुपालन में पेड़ों की कटाई की लागत राज्य वन विभाग के पक्ष में जमा कर ली जायेगी।

अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, ल००नि०पि०
नरेन्द्रनगर

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत ससमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०—५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु १.२२५ हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—४ के अनुपालन में वृक्षों के कटाव अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित आदेश की प्रति वन विभाग को उपलब्ध करा ली जायेगी तथा इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक घर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या—९

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०—५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर बन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—९ के अनुपालन में एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण—पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला सोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक रखीकृति की शर्त संख्या-10 के अनुपालन में मार्ग निर्माण के पश्चात आई.आर.सी. मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।

अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, ल००नि०वि०
नरेन्द्रनगर

शर्त संख्या-11

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्थीकृति की शर्त संख्या-11 के अनुपालन में मार्ग निर्माण के पश्चात संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।

अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर


प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नया निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-12 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति (लागू होने की दशा में), प्राप्त कर ली जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि�0वि0
नरेन्द्रनगर

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०—५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन मूलि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले—आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।



अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-14 के अनुपालन में वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

अधिशासन अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद ठिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-15 के अनुपालन में मजदूरों को राजीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अध्या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-16 के अनुपालन में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।

अधिशासकी अभियन्ता
प्रमाण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-18 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०—५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य ऐजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—58 तक जोड़ने हेतु 1.225 हेतु 0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या—21 के अनुपालन में कि यदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर अन्य शर्तें लागू की जाती हैं तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनका भी पालन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि�०पि०, नरेन्द्रनगर

प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०५८०-५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-22 के अनुपालन में मलवे का निस्तारण पूर्वविनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तथ शीमा से नीचे न गिरे तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने हेतु उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाये जायेंगे।

अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—58 तक जोड़ने हेतु 1.225 हेठो बनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या—23 के अनुपालन कि प्रयोक्त यदि अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।

अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०न००५०, नरेन्द्रनगर



Challan for collection of CAMPA Fund
Date: 01-11-2011

Client Code	CAMPO5
Location	UTTARANCHAL
Branch/Office No.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PR Application No.	01HC41943
MPU/PRU File No.	4100CPM00000011PC
Address:	A.P.O. P.W.D. Nainital-Kumaon Terai Garhwal
Bank/Credit/Bus. Email Id.	repoworksnainital@pru.nic.in
Mobile No.	9895111115
Customer No.	1234567890
Residence Pin	263141
Beneficiary Branch and Code	Union Bank Of India Nainital Branch (03714)

Amount by PAYING Slip/cheque/Transfer/Other
Amount in Rupees (Rupees 100/-)


Signature of Agent/Bank Officer
Signature

Bank Officer Signature

Bank Officer Signature

Bank's Transaction Number Branch Name

- Agent/Bank should use CDS system (FCB & CAMPA) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against PAN/ID.
- Enter the Beneficiary Name in Additional Information 1.
- Enter the Beneficiary Mobile number in Additional Information 2.



Challan for collection of CAMPA Fund
Date: 01-11-2011

Client Code	CAMPO5
Location	UTTARANCHAL
Branch/Office No.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PR Application No.	01HC41943
MPU/PRU File No.	4100CPM00000011PC
Address:	A.P.O. P.W.D. Nainital-Kumaon Terai Garhwal
Customer Contact No.	repoworksnainital@gmail.com
Email Id.	repoworksnainital@gmail.com
Mobile No.	9895111115
Customer No.	1234567890
Residence Pin	263141
Beneficiary Branch and Code	Union Bank Of India Nainital Branch (03714)

Amount by PAYING Slip/cheque/Transfer/Other
Amount in Rupees (Rupees 100/-)


Signature of Agent/Bank Officer
Signature

Bank Officer Signature

Bank Officer Signature

Bank's Transaction Number Branch Name

- Branches should use CDS system (FCB & CAMPA) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against PAN/ID.
- Enter the Beneficiary Name in Additional Information 1.
- Enter the Beneficiary Mobile number in Additional Information 2.



Challan for collection of CAMPA Fund
Date: 01-11-2011

Client Code	CAMPO5
Location	UTTARANCHAL
Branch/Office No.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PR Application No.	01HC41943
MPU/PRU File No.	4100CPM00000011PC
Address:	A.P.O. P.W.D. Nainital-Kumaon Terai Garhwal
Customer Contact No.	repoworksnainital@gmail.com
Email Id.	repoworksnainital@gmail.com
Mobile No.	9895111115
Customer No.	1234567890
Residence Pin	263141
Beneficiary Branch and Code	Union Bank Of India Nainital Branch (03714)

Amount in Rupees (Rupees 100/-)

Signature of Agent/Bank Officer
Signature

Bank Officer Signature

Bank Officer Signature

Bank's Transaction Number Branch Name

- Branches should use CDS system (FCB & CAMPA) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against PAN/ID.
- Enter the Beneficiary Name in Additional Information 1.
- Enter the Beneficiary Mobile number in Additional Information 2.

After making successful payment, User Agencies may send a file of confirmation through Email: helpdeskamps@complink.com

Note: After making the successful payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, user may mail a copy of your challan and transaction date to
Email: amps@complink.com

3069020211109305220

Date: 9-11-2011



दानेल — जो विंश्ये श्रीमतीनी पासली। पुस्तक से प्रवृत्ति छासखी तक
जाम सराहणी पट्टी आगे उत्तरवाल पावड्या दिल्ली गठ

0.4-13

(यह अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त यह मुग्हि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अग्रिम संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Tehri Garhwal

No--- 601 /XXIV - ALC - II

Dated- 13/8/2020

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5 February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.225 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar** (name of user agency) for **Construction of Sansman-Kaudiyala Motor Road to connect it NH-58** (purpose for diversion of forest land) in **Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Sansman** village(s) in Pawakidevi tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.225 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (IX) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gramma Sabhas have given their consent to it;
- (b) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

P.J. N.T.P.
पंडित जगदीश पाटेल

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under scheduled tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Mangesh Ghildiyal I.A.S deputy commissioner Tehri Garhwali on dated 13.8.2020 at time in Tehri in which application claiming rights in Tehri area measuring 1.225 hect for the construction of Sansman-Kaudiyala Motor Road to connect it NH-58 forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Narendra Nagar sub division were discussed and consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:.. N.T.T.....

Dated: 13.8.2020

Deputy Commissioner cum Chairman
District Level Committee
मंगेश घिलडियल
तेहरी गढ़वाल

*AM
N.T.P.*

It is further certified that - Minutes of meeting of Construction of Sansman-Kaudiyala Motor Road to connect it NH-58, Length 4.750Km. regarding FRA is as follows:-

Sl.No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.225 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Shabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (I) to annexure (VIII)	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent it.	Yes copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
ठिहरी गढ़वाल

दुर्गा पुण्डरी
प्राचीन विद्या संस्कारक समिति
२५ अगस्त २०१३ शनिवार

समाज कल्याण अधिकारी
ठिहरी गढ़वाल

प्रभागीय बोर्डिंग कार्यपाल
सिंहपुरी गढ़वाल जिला
कुमाऊँ उपराज्य (उत्तराखण्ड)

Signature
(Full name and official seal of the officer addressed)

Mr. M.T.P. [Signature]

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम—

जलपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़िया
मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण का

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

पत्रांक—

दिनांक—

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत यनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रभाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रनगर।

उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिषेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु (12 हेतु 00 आरक्षित वन भूमि 0.00 हेतु सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हेतु वन पचायत भूमि, अर्थात कुल 1.225 हेतु वन भूमि का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर प्रयोक्ता एजेंसी के पश्च में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत यनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक 30.01.2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं विधान सभा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक युक्ता मिश्र, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार होनी चाही

1-	युक्ता मिश्र उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर	—अध्यक्ष
2-	श्री डॉ०पी० बलूनी उप प्रभागीय वनाधिकारी देवप्रयाग	—सदस्य
3-	श्री राहुल प्रताप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी नरेन्द्रनगर	—उपायुक्त/सहायक
4-	श्री तेजपाल सिंह राणाबी०डॉ०सी० क्षेत्र गंगलसी	—सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही शुरू की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य परियोजना हेतु 1.225 हेतु वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी के पश्च में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला निवित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग (मुनिकीरेती) द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राप्तियां को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिषेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य, परियोजना के निर्माण हेतु 1.225 हेतु वन भूमि लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर (प्रयोक्ता एजेंसी) को जनहित में सकार प्राप्ति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर चहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
19/2020

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल।




प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

अनुच्छेदित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रभाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति नरेन्द्रनगर।

आज दिनांक 30.01.2020 को जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा
क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एथ०-५८)
से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225हेठल वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में
हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर की अध्यक्षता में
हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
१	चुक्ता मिश्र	उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	 30/01/2020
२	श्री ढी०पी० बलूनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर मुनिकीरती	
३	श्री राहुल प्रताप सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, नरेन्द्रनगर।	
४	श्री तेजपाल सिंह राणा	वी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य गंगलसी	 संवृत्त देश पंचायत-कानून विभाग उपराज्यकारी मैसूरु राज्य सरकार (राज्य)

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम संसमण
तहसील पावकीदेवी, जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (1.225 हेक्टेएर आरक्षित वन भूमि, 0.00हेक्टेएर सिविल सोयम भूमि हेक्टेएर, वन पंचायत भूमि 0.00 हेक्टेएर) अर्थात् कुल 1.225हेक्टेएर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत संसमण द्वारा दिनांक 04.01.2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा रघष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ग्राम पंचायत संसमण के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित



परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा बैत्र नरेन्द्रगढ़ के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएएव०-५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

दिनांक 04.01.2020 को ग्राम सभा शी सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पचासत् संसमण

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	लुन्धवर्सिंह	लुन्धवर्सिंह
2.	विजेन्द्रसिंह	विजेन्द्रसिंह
3.	हिमतसिंह	हिमतसिंह
4.	कामसिंह	कामसिंह
5.	सरतसिंह	सरतसिंह
6.	कौशिल्यादेवी	कौशिल्यादेवी
7.	लकपत्ती देवी	लकपत्ती देवी
8.	देवकी देवी	देवकी
9.	सतीदेवी	सतीदेवी
10.	आगपत्ती देवी	आगपत्ती देवी
11.	गरीमा	गरीमा
12.	बृन्दसिंह	बृन्दसिंह
13.	बालेश्वरी देवी	बालेश्वरी
14.	दया राम	दया राम

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल की विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

दिनांक ०४.०१.२०२० को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत संसमण

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१५.	पुष्टा देवी	पुष्टा
१६.	आंध्र देवी	आंध्र
१७.	काजल देवी	काजल
१८.	काजल देवी	पूनम देवी
१९.	दर्शन भाऊ सिंह	Darshan Singh
२०.	प्रीति	Preeti
२१.	पुष्टी भुकेश हिंद	Pushpi
२२.	पुष्टी भुकेश हिंद	Pushpi
२३.	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
२४.	पिंका देवी सदस्यमण्डली	पिंकी
२५.	रवीना	रवीना
२६.	उमत सिंह	उमत
२७.	दीपिका	दीपिका
२८.	मीरानी	मीरानी

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम:-


जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा ईंज नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसामण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय पासमार्ग (एन०एच०-५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

दिनांक ०४.०१.२०२० को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत संसामण

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
३९.	कलीरना	लक्ष्मीना
४०.	मदन सिंह	मदनाल्लू
४१.	रोशन सिंह	रोशनाचिंह
४२.	झुजलान सिंह	झुजलानाल्लू
४३.	कुष्णलाल	कुष्णल लंग
४४.	सतपाल सिंह	सतपालसिंह
४५.	सन्दीप	सन्दीप
४६.	मुण्डप	मुण्डप
४७.	दिपाल सिंह	दिपाल
४८.	दर्दक सिंह	दर्दक
४९.	विरकर	विरकर
५०.	झुन्दर सिंह	झुन्दर
५१.	झेमुकाल सिंह	झेमुकाल
५२.	दिव्या सिंह	दिव्या

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम:-

जनपद ठिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नया निर्माण कार्य।

दिनांक ०४.०१.२०२० को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत संसमण

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित चरित्र ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
४३.	वीर रेण	वीर रेण
४४.	शशांक देवी	शशांक देवी
४५.	सरिता देवी	सरिता देवी
४६.	नीरज रिद	नीरज रिद
४७.	कुलतान रेण	कुलतान रेण
४८.	माला रिद	Malash
४९.	मरत रिद	मरत रिद
५०.	भद्रोली गाई देवी	भद्रोली गाई देवी
५१.	दीपक रिद	दीपक रिद
५२.	सर्पेश्वरी देवी	सर्पेश्वरी देवी
५३.	बिमला देवी	बिमला देवी
५४.	दलावीर रेण	दलावीर
५५.	आलारामिदृ	आलारामिदृ
५६.	जामर रिद	जामर रिद

(M.O.U)

(प्रमाण-पत्र)

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-५८) से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली 1.225 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के बदले दो गुनी भूमि 2.450 हेक्टेयर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मौजा संसमण की सिविल सोयम भूमि, खाता संख्या 16 में दर्ज खसरा संख्या 5170 में कुल रकवा 4.112 हेक्टेयर भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड बंजर जो कि उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज है, मे से 2.450 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, को मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण की सेवानिक स्वीकृति (प्रथम चरण की स्वीकृति) के पश्चात् वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण / हस्तान्तरण कर दी जायेगी।

(Signature)
अपर सहायक / कानिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

(Signature)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

(Signature)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

(Signature)
राजस्व उपनिरीक्षक

(Signature)
तात्परीलदार

(Signature)
उप जिलाधिकारी
नरेन्द्र नरेन्द्रनगर गढ़वाल

OWNERSHIP PROOF

परियोजना का नामः—

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०—५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०—५८) से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली 1.225 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के बदले दो गुनी भूमि 2.450 हेक्टेयर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मौजा संसमण की सिविल सोयम भूमि, खाता संख्या 16 में दर्ज खसरा संख्या 5170 में कुल रकवा 4.112 हेक्टेयर भूमि में से 2.450 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि को वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित करने के लिए चयनित किया गया है। यह भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग—९(३)ड बंजर उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर वृक्षारोपण करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अमर सहायक / कानिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि�०वि०
नरेन्द्रनगर।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि�०वि०
नरेन्द्रनगर।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि�०वि०
नरेन्द्रनगर।

राजस्व उपनिरीक्षक

तहसीलदार

उप जिलापिकामी
नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल

NON ECUMBERENCE CERTIFICATE

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-५८) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण—कौड़ियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-५८) से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली 1.225 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के बदले दो गुनी भूमि 2.450 हेक्टेयर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की जानी है। इस हेतु मौजा संसमण की सिविल सौयम भूमि, खाता संख्या 16 में दर्ज खसरा संख्या 5170 में कुल रकवा 4.112 हेक्टेयर भूमि में से 2.450 हेक्टेयर सिविल सौयम भूमि को वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित करने के लिए चयनित किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगतनीय है कि चयनित भूमि वन से आच्छादित नहीं है। उक्त भूमि इस प्रयोजन के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन हेतु आबंटित नहीं की गयी है एवं उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की नहीं है। उक्त भूमि में कोई ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान, आदिवासी जनजाति का निवास स्थल नहीं है व चयनित भूमि पर कोई कानूनी विवाद अथवा कब्जा नहीं है।

अपर सहायक / कानेच अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नरेन्द्रनगर।

राजस्व उपर्युक्तीकार

तहसीलदार

उपर्युक्ताविधिकारी
नरेन्द्रनगर। गहरामा

वनस्पत्राधिकारी
माणिकनाथ रेज.
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनस्पत्राधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरती।